राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/12–13 जयपुर, दिनांक : 3 MAY 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 की समस्त प्रविष्टियां एम.आई.एस. पर पूर्ण किये जाने के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 समाप्त हो चुका है एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष की प्रविष्टियां एम.आई.एस. पर निकट भविष्य में बन्द किये जाने की संभावना है। उक्त वित्तीय वर्ष की समस्त प्रविष्टियां एम.आई.एस. पर पूर्ण किये जाने के संबन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

- वित्तीय वर्ष के दौरान जिला स्तर पर प्राप्त सभी प्रकार के बिल/वाउचर की प्रविष्टि नरेगा सॉफ्ट पर अविलम्ब पूर्ण की जावे। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक किये जा चुके समस्त प्रकार के भुगतान, अग्रिम आदि की प्रविष्टि भी अविलम्ब नरेगा सॉफ्ट पर पूर्ण की जावे। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं परियोजना अधिकारी (लेखा) यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त सभी बिल/वाउचर तथा भुगतान/अग्रिम आदि समस्त प्रविष्टियां नरेगा सॉफ्ट पर हो चुकी है। यह कार्यवाही दिनांक 05.05.2013 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे। किसी भी प्रकार की प्रविष्टियां शेष रह जाने पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद एवं परियोजना अधिकारी (लेखा) की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

- वित्तीय वर्ष के दौरान ब्लाक स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त सभी प्रकार के बिल/वाउचर की प्रविष्टि नरेगा सॉफ्ट पर अविलम्ब पूर्ण की जावे। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक किये जा चुके समस्त प्रकार के भुगतान, अग्रिम आदि की प्रविष्टि भी अविलम्ब नरेगा सॉफ्ट पर पूर्ण की जावे। विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी एवं ब्लाक स्तरीय लेखा अधिकारी/कार्मिक यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त सभी बिल/वाउचर तथा भुगतान/अग्रिम आदि समस्त प्रविष्टियां नरेगा सॉफ्ट पर हो चुकी है। यह कार्यवाही दिनांक 05.05.2013 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे। किसी भी प्रकार की प्रविष्टियां शेष रह जाने पर विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी एवं लेखा अधिकारी/कार्मिक पंचायत समिति की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति द्वारा

प्रत्येक ग्राम पंचायत से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त/भुगतान किये गये समस्त प्रकार के बिल/वाउचर की प्रविष्टि एम. आई.एस. पर करायी जा चुकी है एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 के किसी भी प्रकार के बिल/वाउचर की प्रविष्टि एम.आई.एस. पर शेष नही है।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस